रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996/11 अग्रहायण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

अधिसूचना

शिमला-171004, 2 दिसम्बर, 1996

संख्या 1-60/96-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरण-पोषण विधेयक, 1996

3591-राजपत्र/96-2-12-96—1,231. (5409) मूल्य : 1 रुपया।

(1996 का विधेयक संख्यांक 29) जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

1996 का विधेयक संख्यांक 29.

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित रूप में)

माता-पिता, पत्नी और सन्तान तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

उद्देशिका:--क्योंकि वृद्ध और अशक्त माता-पिता तथा आश्रितों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और युवा पीढ़ी को अपनी नैतिक बाध्यताओं, जो वे अपने कुटुम्ब और वृद्ध एवं अशक्त माता-पिता तथा आश्रितों के प्रति समाज के ऋणी ह, का पालन करने हेतु उन्हें विवश करने की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे समाज में रद्दी के ढेर की तरह कंगाल और दीनहीन न बने रहें तथा तद्द्वारा वे अपने जीवन निर्वाह के लिए बेसहारा जीवन जीने को प्रेरित न हों ;

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 के साथ पठित अनुच्छेद 41 में अधिकथित तत्वों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह लोक हित में है कि बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित की जाए ;

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 1996 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अपील प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपील सुनने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो मण्डल आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) "आवेदक" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पक्ष में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भरणपोषण का आदेश दिया गया है ;

(ग) "अधिमत व्यक्ति या संगठन" से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन अधिमत किया गया है ;

(घ) "सन्तान" के अन्तर्गत अधर्मज, दत्तक और सौतेली सन्तान भी है ;

(ङ) "आश्रित" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) माता-पिता और पितामह-पितामही, जब तक वे अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं या पितामह-पितामही की दशा में अपने पुत्रों और पुत्रियों से भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हैं ;

(ii) पत्नी, जब तक वह पुनः विवाह न कर ले ;

(iii) पुत्र या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र जब तक वह अप्राप्तवय है ; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि पौत्र की दशा में वह अपने पिता या माता की सम्पदा से भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है ;

(iv) अविवाहित पुत्री या पूर्वमृत पुत्र की अविवाहित पुत्री जब तक कि वह अविवाहित रहती है; परन्तु यह तब तक कि और उस विस्तार तक जहां तक कि पौत्री की दशा में वह अपने पिता और माता की सम्पदा से भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है ;

(v) विधवा पुत्री, परन्तु यह तब तक कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह निम्नलिखित में किसी से भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है—

(क) अपने पति की सम्पदा से ; या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से ; या

(ग) अपने ससुर या अपने पितामह या उन दोनों में से किसी की सम्पदा से ; या

(vi) पुत्र या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की कोई विधवा, या जब तक कि वह पुनः विवाह न कर ले ; परन्तु यह तब तक जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह अपने पति की सम्पदा से या अपने पुत्र या पुत्री से अथवा, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा ; या पौत्र की विधवा की दशा में, अपने ससुर की सम्पदा से भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है ;

(vii) अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, जब तक कि वह अप्राप्तवय रहता है ;

(viii) अधर्मज पुत्री, जब तक वह अविवाहित रहती है ;

(च) "मण्डल आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश सरकार का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है ;

(छ) "भरणपोषण अधिकारी" से धारा 12 के अधीन माता-पिता और आश्रितों के भरणपोषण के लिए नियुक्त भरणपोषण अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "सम्पत्ति" से किसी भी प्रकार की सम्पत्ति, चाहे जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूत, अभिप्रेत है और ऐसी सम्पत्ति में कोई अधिकार या हित भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(ञ) "प्रत्यर्थी" के अन्तगत ऐसा व्यक्ति भी है जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भरणपोषण का आदेश दिया गया है ; और

(ट) "अधिकरण" से धारा 13 के अधीन स्थापित माता-पिता और आश्रितों के भरणपोषण के लिए अधिकरण अभिप्रेत है ।

भरणपोषण आदेश के लिए आवेदन ।

3. (1) कोई व्यक्ति, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है और हिमाचल प्रदेश राज्य का निवासी है--

(i) साठ वर्ष या अधिक आयु के माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में--उसके एक या अधिक सन्तान या पौत्र-पौत्री ;

(ii) पत्नी की दशा में--उसका पति;

(iii) अप्राप्तवय पुत्र या अविवाहित पुत्री की दशा में--उसका पिता और जहां पिता की मृत्यु हो चुकी है उसकी माता ;

(iv) माता-पिता, पितामह-पितामही, पत्नी, अप्राप्तवय पुत्र या अविवाहित पुत्री से भिन्न आश्रित की दशा में यदि ऐसे आश्रित ने अपने पूर्वज की सम्पदा में कोई भाग वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया है--वह व्यक्ति जो भाग लेता है ;

से अपने भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता या कोई अन्य कालिक संदाय या एकमुश्त उसे संदत्त करने के आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(2) अधिमत व्यक्ति या संगठन जिसकी देख-रेख में माता-पिता, सन्तान या आश्रित रहता है, आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा कि, यथास्थिति, माता-पिता, पत्नी, सन्तान या आश्रित के भरणपोषण के खर्च और व्यय चुकाने के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी अधिमत व्यक्ति या संगठन को मासिक भत्ता या कोई अन्य कालिक या एकमुश्त संदाय संदत्त करे ।

(3) जहां माता-पिता, पत्नी, सन्तान या आश्रित अधिमत व्यक्ति या संगठन की देख-रेख में नहीं रहता है, वहां, उक्त माता-पिता, पत्नी, सन्तान और आश्रित के भरणपोषण के युक्तिगुक्त खर्च और व्यय काटने के पश्चात्, मासिक भत्ता अन्य कालिक या एकमुश्त संदाय के शेष का कोई भाग, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता, पत्नी, सन्तान और आश्रित के लिए न्यास के रूप में रखा जाएगा ।

(4) इस बात के होते हुए भी कि व्यक्ति उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम आयु का है, यह अधिनियम उस व्यक्ति को लागू होगा यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य से ग्रस्त है जिससे वह

भरण-पोषण करने में निवारित हुआ है या उसे अपना भरणपोषण करने में कठिनाई होती हो या कोई अन्य विशेष कारण हो ।

स्पष्टीकरण:--इस धारा के प्रयोजन के लिए, माता-पिता अपना भरणपोषण करने में असमर्थ समझे जाएंगे यदि उनकी कुल या प्रत्याशित आय और अन्य वित्तीय स्रोत उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान सहित (किन्तु वहां तक सीमित न रह कर) बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए अपर्याप्त हैं ।

प्रत्यर्थियों का संयोजन ।

4. प्रत्यर्थी विहित प्ररूप में अन्य व्यक्तियों, जो आवेदक के भरणपोषण के लिए दायी हों, को प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने के लिए नोटिस तामील कर सकेगा ।

भरणपोषण आदेश ।

5. (1) अधिकरण भरणपोषण आदेश कर सकेगा यदि यह उचित समझता है कि यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण है कि प्रत्यर्थी को आवेदक का भरणपोषण करना चाहिए और यह कि--

(क) प्रत्यर्थी उसकी अपनी आवश्यकताओं और उसके पति या पत्नी और उसकी सन्तान के पश्चात् आवेदक के भरणपोषण की व्यवस्था करने में समर्थ है ; और

(ख) आवेदक अपने प्रयास के बावजूद, काम करके अपनी सम्पत्ति या किसी अन्य स्रोत से अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है।

(2) जब पत्नी, सन्तान या वृद्ध या अशक्त माता-पिता की प्रसुविधा के लिए भरणपोषण के आदेश करते हुए अधिकरण निम्नलिखित विषयों सहित (परन्तु उस तक सीमित नहीं) मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा :--

(क) आवास और चिकित्सा के लिए युक्तियुक्त व्यय के दृष्टिगत आवेदक की वित्तीय आवश्यकताएं ;

(ख) आवेदक की आय, उपार्जन सामर्थ्य, सम्पत्ति और अन्य वित्तीय स्रोत और जिस ढंग से आवेदक ने अपनी बचत का व्यय किया है या अपने वित्तीय स्रोत अपव्यय किए हैं ;

(ग) आवेदक की शारीरिक या मानसिक निःशक्तता ;

(घ) प्रत्यर्थी की आय, उपार्जन सामर्थ्य, सम्पत्ति और अन्य वित्तीय स्रोत ;

(ङ) प्रत्यर्थी द्वारा अपने पति या पत्नी या सन्तान के सहायतार्थ उपगत व्यय ;

(च) अंशदान और व्यवस्थाएं, चाहे वित्तीय या अन्यथा हों, जो प्रत्यर्थी ने आवेदक के लिए की हैं ;

(छ) यदि आवेदक पृथकतः निवास कर रहा हो, तो क्या आवेदक का ऐसा करना न्यायोचित है ।

(3) आश्रित की प्रसुविधा के लिए भरणपोषण का आदेश करते हुए (पत्नी, अप्राप्तवय पुत्र, अविवाहित पुत्री और माता-पिता से भिन्न) निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा —

(क) मृतक के ऋणों के संदाय का उपबन्ध करने के पश्चात् उसकी सम्पदा के शुद्ध मूल्य का ;

(ख) मृतक की वसीयत के अधीन आश्रित के बारे में किए गए उपबन्ध, यदि कोई हों;

(ग) दोनों के बीच नातेदारी;

(घ) आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताएं;

(ङ) आश्रित और मृतक के बीच पूर्व सम्बन्ध;

(च) आश्रित की सम्पत्ति के मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त कोई आय या उसकी या उसके किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न आय;

(छ) इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण के हकदार आश्रितों की संख्या ।

(4) अधिकरण, जहां एक से अधिक प्रत्यर्थी हों, भरणपोषण को विभिन्न प्रत्यर्थियों में ऐसी रीति में प्रभाजित कर सकेगा जैसा कि न्यायसंगत हो ।

(5) अधिकरण इस धारा के अधीन आवेदन की सुनवाई से पूर्व पक्षकारों के बीच मतभेदों को, पक्षकारों के बीच मध्यस्तता के लिए सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

भरणपोषण के लिए सुरक्षा का आदेश देने की अधिकरण की शक्ति।

6. (1) भरणपोषण आदेश में, ऐसी अवधि के लिए जो अधिकरण अवधारित करे, एकमुश्त राशि या मासिक भत्ता के संदाय या कालिक संदाय के लिए उपबन्ध हो सकेगा ।

(2) अधिकरण स्वविवेकानुसार भरणपोषण अधिनिर्णीत करते हुए प्रत्यर्थी को इसके पूर्णत : या अंशत: भाग को प्रतिभूत करने के लिए न्यास पर न्यासियों में कोई सम्पत्ति निहित करते हुए उस सम्पत्ति की आय में से भरणपोषण या उसके भाग को, संदत्त करने का आदेश दे सकेगा ।

(3) अधिकरण भरणपोषण अधिनिर्णीत करते हुए आवेदक को—

(क) ऐसी न्यूनतम राशि जो अधिकरण बैंक के साथ नियत करे, जमा करने;

(ख) ऐसी न्यूनतम राशि से बीमाकर्ता के साथ वार्षिकी का क्रय करने का आदेश दे सकेगा ।

(4) अधिकरण, भरणपोषण अधिनिर्णीत करते हुए, संदाय की रीति और ढंग के निदेश दे सकेगा ।

भरणपोषण के लिए आदेशों की कालावधि।

7. (1) सिवाय जहां भरणपोषण के लिए आदेश किसी लघुतर अवधि के लिए अभिव्यक्त किया हो, या जहां ऐसा आदेश विखंडित किया जा चुका हो, भरणपोषण आदेश समाप्त हो जाएगा—

(क) यदि भरणपोषण आवेदक या प्रत्यर्थी की मृत्यु पर जो पूर्वतः हो, अप्रतिभूत था;

(ख) यदि भरणपोषण आवेदक की मृत्यु पर प्रतिभूत था ।

(2) जहां भरणपोषण आदेश एक से अधिक प्रत्यर्थी के विरुद्ध किया गया था वहां प्रत्यार्थी की मृत्यु, आवदक के भरणपोषण करते रहने के अन्य व्यक्तियों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी । आवेदक, अधिकरण को उत्तरजीवी प्रत्यर्थियों के बीच दायित्व के पुनः प्रभाजन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

भरणपोषण के लिए आदशों को परिवर्तित करने की अधिकरण की शक्ति ।

8. (1) अधिकरण, भरणपोषण के लिए किसी विद्यमान आदेश को चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत हो, या परिवर्तित या विखंडित कर सकेगा, जहां यह समाधान हो जाता है, कि आदेश किसी दुर्व्यपदेशन या तथ्य की भूल या जहां आवेदक या प्रत्यर्थी की परिस्थितियों में तात्विक तबदीलियां हुई हों, पर आधारित हो या जहां अन्य व्यक्ति प्रत्यर्थी के रूप में शामिल हुआ हो ।

(2) भरणपोषण के आदेश में फेरफार के लिए आवेदन निम्न द्वारा किया जा सकेगा—

(क) आवेदक;
(ख) प्रत्यर्थी;
(ग) भरणपोषण अधिकारी;
(घ) धारा 3 (2) में निर्दिष्ट अधिमत व्यक्ति या संगठन; या
(ङ) प्रतिभूत भरणपोषण के बारे में प्रत्यर्थी के विधिक व्यैक्तिक प्रतिनिधि ।

(3) जहां भरणपोषण आदेश एक से अधिक प्रत्यर्थी के विरुद्ध किया गया था या अन्य प्रत्यर्थी शामिल हो गया है वहां अधिकरण भरणपोषण के परिवर्तन करने के आवेदन पर एसी रीति में जैसा वह न्यायोचित समझे, भरणपोषण का पुनः प्रभाजन कर सकेगा ।

अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय भरणपोषण का अन्य-असंक्राम्य होना ।

9. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय भरणपोषण, किसी ऋण या दावा, जो कोई भी हो, के लिए या क बारे में, समनुदेशीय या अंतरणीय या कुर्क, जब्त या उद्ग्रहीत किए जाने का दायी, नहीं होगा ।

भरणपोषण आदेशों का प्रवर्तन ।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन किया गया भरणपोषण आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होगा और उसी संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा । 1974 क

(2) भरणपोषण के लिए आदेश या तो उसी अधिकरण द्वारा जिसने इसे पारित किया हो या अन्य अधिकरण या साधारण न्यायालय जिसमें निष्पादन के लिए भेजा गया हो, निष्पादित किया जा सकेगा ।

(3) उप-धाराएं (1) और (2) में निर्दिष्ट निष्पादन आदेशों के ढंग के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यापार या उद्योग में लगे किसी निगम के जो केन्द्रीय या राज्य
का 1 सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी से वेतन प्राप्त कर रहा है, के विरुद्ध पारित भरणपोषण आदेश उसे संदेय वेतन की कुर्की द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा ।

(4) जहां वेतन उप-धारा (3) के अधीन कुर्क किया जाता है, अधिकरण, चाहे भरणपोषण की रकम संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति या नियोजक अथवा वेतन का संवितरण करने वाला अधिकारी अधिकरण की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है या नहीं, यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे वेतन से मासिक किस्तों द्वारा एक-तिहाई से अनधिक वेतन, जैसा अधिकरण निर्दिष्ट करे, विधारित किया जाएगा और आदेश की सूचना हो जाने पर ऐसा नियोजक या संवितरक अधिकारी मासिक किस्तों की रकम अधिकरण के पास भेजेगा ।

(5) जहां ऐसे वेतन के कुर्की योग्य भाग, कुर्की के पूर्वतन और अनुष्ट आदेश के अनुसरण में पहले ही विधारित और न्यायालय या अधिकरण के पास भेजा जा रहा है, वहां नियोजक और संवितरक अधिकारी पश्चात्वर्ती आदेश को तत्काल उस अधिकरण को जिसने उसे निकाला है, विद्यमान कुर्की की सभी विशिष्टियों के पूरे कथन के सहित लौटा देगा ।

(6) उप-धारा (3) के अधीन किया गया हर आदेश जब तक कि वह उप-धारा (5) के उपबन्धों के अनुसरण में लौटा न दिया जाए, अतिरिक्त सूचना या अन्य आदेशिका के बिना नियोजक को आबद्ध करेगा और नियोजक इस धारा की उप-धाराओं (3), (4) और (5) के उपबन्धों के उल्लंघन में संदत्त की गई राशि के लिए दायी होगा ।

असमर्थ आवेदकों की ओर से आवेदन ।

11. जहां, आवेदक इस अधिनियम के अधीन आवेदन करने में असमर्थ है (चाहे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य या अन्य किसी कारण से) वहां ऐसा आवेदन उसकी ओर से निम्न द्वारा किया जा सकेगा ––

(क) कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा ;

(ख) किसी व्यक्ति जिसकी देखरेख में वह रहता हो ; या

(घ) अन्य कोई व्यक्ति जिसे आवेदक ने आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया हो ।

भरणपोषण अधिकारी की नियुक्ति ।

12. (1) राज्य सरकार, माता-पिता और आश्रितों के भरणपोषण के लिए भरण-पोषण अधिकारी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी जो वह अवधारित करे ।

(2) भरणपोषण अधिकारी, साठ वर्ष की आयु से ऊपर के आवेदक या अप्राप्तवय सन्तान (चाहे आवेदक ऐसा करने में समर्थ हो या न हो) की ओर से आवेदन कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों का इस अवधि में व्यपदेशन कर सकेगा ।

(3) भरणपोषण अधिकारी अपने अधिकारियों में से किन्हीं अधिकारियों, को सम्बन्धित पक्षकारों से उनकी सहायता के लिए सुलह द्वारा करार करने के लिए परामर्श या निदेश दे सकेगा ।

(4) इस बात के होते हुए भी, कि व्यक्ति की आयु उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम है, यदि भरणपोषण अधिकारी का स्वविवकानुसार समाधान हो जाता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य से पीड़ित है जो उसे पोषित करने से निवारित करता है या जिससे उसका अपना पोषण करना कठिन है या यदि कोई अन्य विशे कारण है, भरणपोषण अधिकारी स्वविवेकानुसार उसकी ओर से आवेदन या उसका प्रतिनिधित्व कर सकेगा ।

माता-पिता और आश्रितों के भरणपोषण के लिए अधिकरण की स्थापना ।

13. (1) **सरकार इस अधिनियम द्वारा माता-पिता और आश्रितों के भरण-पोषण के लिए अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र प्रत्येक जिले में और ऐसे स्थानों पर माता-पिता आश्रितों के भरणपोषण क लिए इतन अधिकरण स्थापित कर सकगी, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।**

(2) ऐसे अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो उपमण्डलाधिकारी (सिविल) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे ।

(3) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपना पद रिक्त कर देगा जहां--

(क) वह पद से त्यागपत्र दे देता है ; या

(ख) जहां उसकी नियुक्ति किसी पद धारण के फलस्वरूप की जाती है, वह उस पद पर नहीं रहता है ।

(4) जहां व्यक्ति अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है वहां राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप में यथासाध्य शीघ्रता से रिक्ति को भरने के लिए पग उठाएगी, किन्तु अधिकरण में कोई रिक्ति अधिकरण के कार्यों को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

(5) यदि अधिकरण का पीठासीन अधिकारी तत्समय अपने पद के या तो साधारणतया या विशिष्ट कार्यवाहियों से सम्बन्धित कर्त्तव्यों का अनुपालन करन में असमर्थ हो तो राज्य सरकार कायवाहियों से सम्बन्धित, यथास्थिति, किसी व्यक्ति को एक समय में छः मास से अनधिक अवधि के लिए पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की, उस अवधि के दौरान या उन कार्यवाहियों से सम्बन्धित वही शक्तियां होंगी जैसे उस व्यक्ति की हैं जिस के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है ।

(6) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी जब तक अधिकरण में सेवारत है भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा और अधिकरण की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

अधिकरण द्वारा दावों का सुना और अवधारित किया जाना ।

14. (1) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी आवेदनों को इस अधिनियम के अनुसार, सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी ।

(2) अधिकरण, उसे किए गए प्रत्येक आवेदन को यथाशक्य शीघ्र विनिश्चित करेगा और साधारणतया प्रत्येक आवेदन को, इसके किए जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर विनिश्चित करेगा ।

(3) अधिकरण की बैठकें ऐसे स्थानों और समय पर होंगी जैसे अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अवधारित करे ।

(4) किसी हितबद्ध पक्षकार का निम्नलिखित द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा---

(क) किसी मामले में, फीस, लाभ, पारिश्रमिक या किसी प्रत्याशा के बिना कार्य करते हुए, जिसमें अधिकरण पक्षकार की प्रार्थना पर और ठोस कारण से अनुज्ञा दे सकेगा---किसी अभिकर्ता ;

(ख) भरणपोषण अधिकारी ;

(ग) यदि वह अधिमत व्यक्ति या संगठन है तो अधिमत व्यक्ति या संगठन का अधिकारी या कर्मचारी ।

(5) अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(6) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षराधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया प्रत्येक समन या नोटिस उस व्यक्ति पर निम्न प्रकार से तामील किया जाएगा---

(क) व्यक्ति या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर समन द्वारा ;

(ख) उसके सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर उस व्यक्ति को सम्बोधित लिफाफे में समन छोड़कर ;

(ग) उसके सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर उस व्यक्ति को सम्बोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन भेज कर ; या

(घ) जहां व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय या कम्पनी हो---

(i) व्यक्तियों के निकाय या कम्पनी या सचिव या अन्य उसी प्रकार के अधिकारी को, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के मुख्य स्थान पर समन परिदत्त करके ; या

(ii) व्यक्तियों के निकाय या कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के मुख्य स्थान को सम्बोधित रजिस्ट्रीकृत डाक से समन भेज कर, तामील किया जा सकेगा ।

(7) उप-धारा (6) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए कोई समन या नोटिस व्यक्ति को, सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे, जब पत्र साधारण डाक द्वारा पहुंच गया होता और समन की तामील साबित करने के लिए, यह साबित करना पर्याप्त होगा कि समन उचित तौर से स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए थे ।

(8) अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:---

(क) शपथ-पत्रों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तुच्छ और तंग करने वाले दावों को, प्रारम्भिक अवस्था में, खारिज करना ;

(ख) किसी व्यक्ति को सुलह अधिकारी के समक्ष, मध्यस्थता के प्रयोजन से समन करना ;

(ग) किसी व्यक्ति को जिसे यह योग्य समझे, आवेदन की सुनवाई में साक्ष्य देने के लिए समन करना ;

(घ) ऐसे व्यक्ति का साक्षी के रूप में शपथ पर या अन्यथा परीक्षण करना और ऐसे व्यक्ति से ऐसे अभिलेख, दस्तावेज या वस्तुएं जो अधिकरण कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) किसी व्यक्ति को कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए अनुज्ञात करना, उस द्वारा ऐसे हाजिर होने के लिए उपगत आवश्यक व्यय को ऐसे पक्षकार द्वारा संदत्त कराना जो अधिकरण अवधारित करे ;

(च) पक्षकारों की सहमति द्वारा आदेश करना ; और

(छ) साक्षियों को हाजिर कराने और शपथ पर साक्ष्य सुनने के विषय में मैजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां ।

(9) अधिकरण द्वारा या के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षित प्रत्येक व्यक्ति, सत्य बोलने और ऐसे अभिलेख, दस्तावेज या वस्तुएं, जिसे अधिकरण अपेक्षा करे, पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा ।

(10) अधिकरण, साक्ष्य के रूप में कोई रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, जानकारी या बात जो उसकी राय में इसे विवाद पर प्रभावी रूप से विचार करने में सहायक हो, चाह वह अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 क अधीन सुसंगत या ग्राह्य न हो, ग्रहण कर सकेगा । 1872 का 1

(11) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में साक्षियों का विस्तरित साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु अधिकरण, जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है, साक्षी जो अधिसाक्ष्य देता है के सार का ज्ञापन अभिलिखित करेगा या करवाएगा और ऐसा ज्ञापन साक्षी द्वारा और अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा ।

(12) किसी व्यक्ति का साक्ष्य, जहां ऐसा साक्ष्य औपचारिक प्रकार का है, को शपथ-पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में, साक्ष्य में सभी अपवादों के अध्यधीन होगा ।

(13) अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, कार्यवाहियों में पक्षकारों में से किसी एक के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसके शपथ-पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के लिए हों, समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा ।

अपील प्राधिकारी, अधिकरण की कार्यवाहियों को मंगवा सकेगा ।

15. (1) अपील प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या अधिकरण के विनिश्चय से व्यथित किसी पक्षकार के आवेदन पर चौदह दिन के भीतर, इस आधार पर कि यह विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है कार्यवाहियों और अधिनिर्णय के आधारों को मंगवा सकेगा और उस पर या नई सुनवाई निर्दिष्ट करते हुए या अन्यथा ऐसे आदेश देगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो कि पर्याप्त न्याय हुआ है ।

(2) इस धारा के अधीन प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियां इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या प्रभावित भरणपोषण की मात्रा के बार में अधिकरण क विनिश्चय को प्रश्नगत नहीं करेंगी ।

अपीलें ।

16. (1) इस धारा और धारा 15 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) आवेदक, आवेदक की ओर से भरणपोषण अधिकारी, प्रत्यर्थी, अधिमत व्यक्ति या संगठन या कोई अन्य प्रभावित पक्षकार अधिकरण के विनिश्चय से, किसी विधि या मिश्रित विधि क प्रश्न या तथ्य पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा सिवाय एसे किसी मामले में जहां अधिकरण ने आदेश पक्षकारों की सहमति से किया हो जब तक कि यह अभिकथित न हो कि सहमनि कपट, विबाध्यता, धमकी या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त न की गई हो ।

(3) अपील प्राधिकारी, उसे की गई प्रत्येक अपील को यथाशक्य शीघ्र विनिश्चित करेगा और प्रत्येक अपील को इसके किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विनिश्चित करेगा ।

(4) उप-धाराएं (2) और (3) के अधीन ऐसी अपीलों को विनियमित करने वाली प्रक्रिया वही होगी जो जिला न्यायालय के विनिश्चय से उच्च न्यायालय को की गई अपीलों के लिए है ।

(5) अपील प्राधिकारी को ऐसी किसी अपील को सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी और अपील पर अधिकरण के विनिश्चय को पुष्ट, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और ऐसी अपील पर खर्च की बाबत या अन्यथा ऐसा अगला या अन्य आदेश कर सकेगा जैसा अपील प्राधिकारी ठीक समझे ।

(6) अपील प्राधिकारी के विनिश्चय से अपील का अतिरिक्त अधिकार नहीं होगा ।

खर्च ।

17. इस अधिनियम के अधीन—

(क) आवेदन का खर्च, अधिकरण के; और

(ख) अपील की सुनवाई का खर्च अपील प्राधिकारी के;

स्वविवेकानुसार होगा ।

भरणपोषण के अधिकार पर सम्पत्ति के अन्तरण का प्रभाव ।

18. (1) जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अपनी सम्पत्ति दान द्वारा या अन्यथा इस शर्त के अधीन अन्तरित की है कि अन्तरिति, अन्तरक को आधारभूत सुखसुविधाएं और आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं उपलब्ध करवाएगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुखसुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने से इन्कार करता है या उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो उक्त सम्पत्ति का अन्तरण कपट या प्रपीड़न या अनुचित प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अन्तरक के विकल्प पर शून्य होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को किसी सम्पदा में से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है, और एसी सम्पदा या इसका कोई भाग अन्तरित किया जाता है तो यदि अन्तरिति को उस अधिकार की सूचना है या यदि वह अन्तरण अनुग्रहिक है तो भरणपोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरुद्ध करवाया जा सकेगा किन्तु ऐसे अन्तरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अन्तरिती है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है ।

अधिमत व्यक्ति या संगठन ।

19. राज्य सरकार—

(क) सामाजिक कल्याण में रत संस्थानों या संगठनों या उनके प्रतिनिधियों को;

(ख) परिवार कल्याण की अभिवृद्धि में रत व्यवसायिक व्यक्तियों को ;

(ग) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति को;

जिनका अधिकरण से सहयोजन इसे इस अधिनियम के प्रयोजनानुसार इसकी अधिकारिता को अधिक प्रभावित ढंग से अमल में लाने हेतु उसे सशक्त करेगा, अधिमत कर सकेगी ।

उपबन्ध कतिपय विधियों के अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

20. इस अधिनियम के उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 (पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से सम्बन्धित) और भरणपोषण के वाद या कार्यवाही के बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

नियम बनाने की शक्ति ।

21. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे––

(क) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और कार्यवाहियों के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित और विहित करने के लिए;

(ख) उन साधनों, जिनके द्वारा विशिष्ट तथ्यों को साबित किया जा सके और ढंग जिसके द्वारा उनके साक्ष्य (जिसके अन्तर्गत शपथ-पत्र भी है, किन्तु केवल इस तक सीमित नहीं) को विनियमित और विहित करने के लिए;

(ग) रीति जिसमें तुच्छ या तंग करने वाले दावे प्रारम्भिक अवस्था में शपथ-पत्र और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खारिज किए जा सकें;

(घ) दस्तावेजों और अन्य साक्ष्य और लोक अभिलेखाओं का प्रकटीकरण ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत भरणपोषण के संदाय की रीति और पद्धति ;

(च) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के खर्चे ; और

(छ) अधिकरण को सहायता देने के लिए रीति जिसमें, प्रयोजन जिसके लिए, और शर्तें जिनके अन्तर्गत संस्थानों, संगठनों और अन्य व्यक्तियों को, अधिमत किया जा सके ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे समाज में वृद्ध माता-पिता का भरणपोषण एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है और यह पैतृक और अर्जित सम्पत्ति पर आधारित न हो कर आपसी सम्बन्धों पर आधारित निजी नैतिक दायित्व रहा है।

हमारे प्राचीन मनीषियों ने इस धारणा को सर्वोच्च स्थान दिया है कि "वृद्ध माता-पिता, सतीव्रता पत्नी और शिशु का भरणपोषण करना सर्वोपरि कर्तव्य है चाहे इसके लिए सैंकड़ों दुष्कर्म क्यों न करने पड़ें"। वर्तमान में हमारे संविधान निर्माताओं ने बुढ़ापे, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनर्ह की दशा में लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपबन्ध बना कर कल्याणकारी राज्य, समतावादी समाज व्यवस्था करने के लि अनुच्छेद 38 और 41 में अन्य उपबन्धों सहित, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का बड़ी बुद्धिमता से प्रावधान किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस विकासशील युग में हमारे पुरातन सदगुणों का ह्रास हो रहा है और भौतिकवादी और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनप रही हैं।

युवा पीढ़ी अपनी पत्नी, सन्तान और वृद्ध तथा अशक्त माता-पिता की उपेक्षा कर रही है, वे समाज में रद्दी के ढेर की तरह, कंगाल और दीनहीन बनने पर और तद्द्वारा वे अपना जीवन निर्वाह के लिए बेसहारा, अनैतिक और आपराधिक जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। इसलिए उपेक्षित पत्नी, सन्तान और वृद्ध तथा अशक्त माता-पिता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहानुभूतिशील और शीघ्र उपचार का उपबन्ध करना परमावश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

विद्याधर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
2 दिसम्बर, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 12 और खण्ड 13, माता-पिता और आश्रितों के भरणपोषण के लिए भरणपोषण अधिकारी और अधिकरण की नियुक्ति का उपबन्ध करता है । क्योंकि प्रस्तावित उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए विद्यमान सरकारी तन्त्र का उपयोग किया जाना आशयित है, इसलिए स्थापना पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा । अनन्तिम रूप से, विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों क अधिनियमित किए जाने पर प्रति वर्ष लगभग तीन लाख रुपये का राजकीष से अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

खण्ड 22 में उल्लिखित प्रयोजनों के बारे में नियम बनाने के लिए और विधेयक के सभी या किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। ये नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे । यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकृति का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[कल्याण विभाग नस्ति सं0डब्ल्यू एल एफ-ए (3) 5/96]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण विधेयक, 1996 की विषयवस्तु के बार में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान क अनुच्छद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

Bill No. 29 of 1996

THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND DEPENDANTS BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the maintenance of parents, wives and children and for matters connected therewith.

Preamble.—WHEREAS tendency to neglect the aged and infirm parents and dependants is increasing day by day and there is apparent need to compel the young generation to perform their moral obligation which they owe to the society in respect of their families and aged and infirm parents, so that they are not left beggared and destituted on the scrap-heap of society and thereby driven to life of vagrancy for their subsistence.

AND WHEREAS, for the purpose of securing the principles laid down in article 41, read with article 38, of the Constitution of India, it is in the public interest that the public assistance in cases of old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want should be secured.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows,—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 1996.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "appellate authority" means an officer, not below the rank of Divisional Commissioner, authorised by the State Government to hear the appeals under section 16 of this Act;

(*b*) "applicant" includes a person in whose favour a maintenance order has been made under the provisions of this Act;

(*c*) "approved person or organisation" means a person or an organisation that has been approved under section 20 by the State Government in writing for the purposes of this Act;

(*d*) "child" includes an illegitimate, adopted and step child;

(*e*) "dependant" includes—

(*i*) parents and grand parents, so long as they are unable to maintain themselves or unable to obtain maintenance in the case of grand parents from their sons and daughters;

(*ii*) wife, so long as she does not remarry;

(*iii*) son or the son of pre-deceased son, so long as he is minor; provided and to the extent that he is unable to obtain maintenance, in the case of grand-son from his father's or mother's estate;

(*iv*) unmarried daughter or unmarried daughter of the predeceased son, so long as she remains unmarried; provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance in case of a grand daughter from her father's and mother's estate;

(*v*) widowed daughter; provided that and to the extent that she is unable to obtain maintenance —

(*a*) from the estate of her husband;

(*b*) from her son or daughter, if any, or his or her estate; or

(*c*) from her father-in-law or her grand father or the estate of either of them;

(*vi*) any widow of the son or of the son of the pre-deceased son, so long as she does not remarry; provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance from the estate of her husband or from her son or daughter, if any, or his or her estate; or in the case of a grandson's widow, also from her father-in-law's estate;

(*vii*) minor illegitimate son, so long he remains a minor;

(*viii*) illegitimate daughter, so long she remains unmarried;

(*f*) "Divisional Commissioner" means the Divisional Commissioner to the Government of Himachal Pradesh;

(*g*) "Maintenance Officer" means the Maintenance Officer for the maintenance of Parents and Dependents appointed under section 12;

(*h*) "prescribed" means perscribed by rules made under this Act;

(*i*) "property" means property of any kind, whether moveable or immovable, tangible or intangible, and includes any rights or interest in such property;

(*j*) "respondent" includes a person against whom a maintenance order has been made under the provisions of this Act;

(*k*) "Tribunal" means the Tribunal for the Maintenance of Parents and Dependants established under section 13.

Applications for maintenance orders.

3. (1) Any person, who is unable to maintain himself and is resident in the State of Himachal Pradesh, may apply to the Tribunal for an order —

(*i*) in case of a parent or grand parent of or above 60 years of age, that one or more of his children or grand children;

(*ii*) in case of wife, that her husband;

(*iii*) in case of minor son or unmarried daughter, that his or her father and where father is dead his or her mother;

(*iv*) in case of dependant (other than a parent, grand parent, wife, minor son or unmarried daughter) if such dependant has not obtained, by testamentary or intestate succession, any share in an estate of his ancestor, that the persons who take the share;

pay him a monthly allowance or any other periodical payment or a lump-sum for his maintenance.

(2) An approved person or organisation in whose care a parent, wife, child or dependant resides may apply to the Tribunal for an order that the respondent pay the approved person or organisation a monthly allowance or any other periodical payment or a lump sum for the purposes of defraying the costs and expenses of maintaining that parent, wife, child or a dependant, as the case may be.

(3) Where a parent, wife, child or dependant ceases to be in the care of the approved person or organisation any part of the monthly allowance, other periodical payment or lump sum remaining, after deducting the reasonable cost and expenses of maintaining the such parent, wife, child and the dependant shall be held in trust for such parent, wife, child and the dependant, as the case may be.

(4) Notwithstanding that a person is below the minimum age specified in sub-section (1), this Act shall apply to that person if the Tribunal is satisfied that he is suffering from infirmity of mind or body which prevents him from maintaining or makes it difficult for him to maintain himself or that there is any other special reason.

Explanation.—For the purposes of this section, a parent is unable to maintain himself if his total or expected income and other financial resources are inadequate to provide him with basic amenities and basic physical needs including (but not limited to) shelter, food and clothing.

Joinder of respondents.

4. A respondent may serve notice in the prescribed form on other persons liable to maintain the applicant joining them as respondents in the action.

Maintenance orders.

5. (1) The Tribunal may make a maintenance order if it considers that it is just and equitable that the respondent should maintain the applicant and that—

(*a*) the respondent is able to provide maintenance to the applicant after his own requirements and of his spouse and his children have been supplied ; and

(*b*) the applicant is unable, in spite of efforts on his part, to maintain himself through work or from his property or from any other source.

(2) When ordering maintenance for the benefit of a wife, child or aged or infirm parent, the Tribunal shall have regard to all the circumstances of

the case including (but not limited to) the following matters :—

(*a*) the financial needs of the applicant, taking into account reasonable expenses for housing and medical costs;

(*b*) the income, earning capacity, property and other financial resources of the applicant and the manner in which an applicant has spent his savings or dissipated his financial resources;

(*c*) any physical or mental disability of the applicant;

(*d*) the income, earning capacity, property and other financial resources of the respondent;

(*e*) the expenses incurred by the respondent in supporting his spouse or children;

(*f*) the contributions and provisions, whether financial or otherwise, which the respondent has made for the maintenance of the applicant;

(*g*) if the applicant is living separately, whether the applicant is justified in doing so.

(3) When ordering maintenance, if any, for the benefit to a dependant (other than wife, minor son, unmarried daughter and parents) regard shall be had to—

(*a*) the net value of the estate of the deceased after providing for the payment of debts;

(*b*) the provisions, if any, made under a will of the deceased in respect of the dependant;

(*c*) the degree of relationship between the two;

(*d*) the reasonable wants of the dependant;

(*e*) the past relations between the dependant and the deceased;

(*f*) the value of the property of the dependant and any income derived from the property or from his or her earnings or from any other source;

(*g*) the number of dependants entitled to maintenance under this Act.

(4) Where there is more than one respondent the Tribunal may apportion the maintenance among the various respondents in such manner as may be just.

(5) The Tribunal shall, before hearing an application under this section, refer the differences between the parties to a conciliation officer for mediation between the parties.

Power of Tribunal to order security for maintenance.

6. (1) A maintenance order may provide for the payment of a lump sum, or a monthly allowance or periodical payment for such period as the Tribunal may determine.

(2) The Tribunal may, in its discretion, when awarding maintenance, order the respondent to secure the whole or any part of it by vesting any property in trustees upon trust to pay the maintenance or part thereof out of the income from that property.

(3) The Tribunal may, in awarding maintenance, order the applicant to—

(*a*) deposit such minimum sum as the Tribunal may determine with a bank; or

(*b*) purchase an annuity with an insurer with such minimum sum.

(4) The Tribunal may, in awarding maintenance, give directions as to the manner or method of payment.

Duration of orders for maintenance.

7. (1) Except where an order for maintenance is expressed to be for any shorter period or where any such order has been rescinded, a maintenance order shall expire—

(*a*) if the maintenance was unsecured, on the death of the applicant or the respondent, whichever is the earlier;

(*b*) if the maintenance was secured, on the death of the applicant.

(2) Where a maintenance order was made against more than one respondent, the death of a respondent does not affect the liability of the others to continue paying maintenance to the applicant. The applicant may apply to the Tribunal to re-apportion the liability among the surviving respondents.

Power of Tribunal to vary orders for maintenance.

8. (1) The Tribunal may vary or rescind any subsisting order for maintenance, whether secured or unsecured, where it is satisfied that the order was based on any misrepresentation or mistake of fact or where there has been any material change in the circumstances of the applicant or respondents or where another person is joined as a respondent.

(2) An application for variation of a maintenance order may be made by—

(*a*) the applicant;

(*b*) a respondent;

(*c*) the Maintenance Officer;

(*d*) an approved person or organisation referred to in section 3(2); or

(*e*) in respect of secured maintenance, the legal personal representatives of a respondent.

(3) Where a maintenance order was made against more than one respondent or another respondent is joined, the Tribunal may re-apportion the maintenance upon an application to vary the maintenance order in such manner as it considers just.

Maintenance payable under order of Tribunal to be inalienable.

9. Maintenance payable to any person under this Act shall not be assignable or transferable or liable to be attached, sequestered or levied upon for, or in respect of, any debt or claim whatsoever.

Enforcement of maintenance orders.

10. (1) A maintenance order made under this Act, shall have the same force and effect as an order passed under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973, and shall be executed in the manner prescribed for the execution of such order by that Code. 2 of 1974

(2) An order for maintenance may be executed either by the Tribunal which passed it or by other Tribunal or ordinary Court to which it is sent for execution.

(3) In addition to the mode of execution of orders referred to in sub-sections (1) and (2), a maintenance order passed against a person, who is in receipt of salary from any State or Central Government, or from a local authority or from a Corporation engaged in any trade or industry which is established by a Central or State Government, or from a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, may be executed by way of attachment of salary payable to him. 1 of 1956

(4) Where the salary is attached under sub-section (3), the Tribunal, whether the person liable to pay the amount of maintenance, or the employer or the officer disbursing the salary is or is not within the local limits of the Tribunal's jurisdiction, may order that the salary not exceeding one third, shall be withheld from such salary by monthly instalments as the Tribunal may direct and upon notice of the order such employer or the disbursing officer, shall remit to the Tribunal the amount of the monthly instalments.

(5) Where the attachable portion of such salary is already being withheld and remitted to a Court or a Tribunal in pursuance of a previous and unsatisfied order of attachment, the employer or the disbursing officer shall forthwith return the subsequent order to the Tribunal issuing it with a full statement of all the particulars of the existing attachment.

(6) Every order made under sub-section (3), unless it is returned in accordance with the provisions of sub-section (5), shall without further notice or other process, bind the employer and the employer shall be liable for the sum paid in contravention of the provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of this section.

Applications on behalf of incapacitated applicants.

11. Where an applicant is unable to make an application under this Act (whether by reason of physical or mental infirmity or for any other reason), such application may be made on his behalf by—

(*a*) any member of his family;
(*b*) any person in whose care he resides; or
(*c*) any other person whom the applicant has authorised to make such application.

Appointment of Maintenance Officer.

12. (1) The State Government may appoint a Maintenance Officer for the maintenance of Parents and Dependants on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) The Maintenance Officer may make an application under this Act on behalf of an applicant of or above 60 years of age or a minor child (whether or not the applicant is able to do so) or represent such applicant in any proceedings or appeal under this Act.

(3) The Maintenance Officer may consult, or direct any of his officers to consult, with the parties concerned in order to assist them to reach agreement by conciliation.

(4) Notwithstanding that a person is below the minimum age specified in sub-section (2), the Maintenance Officer may, in his discretion, make an application on his behalf or represent him if the Maintenance Officer is satisfied that he is suffering from infirmity of mind or body which prevents him from maintaining or makes it difficult for him to maintain himself or if there is any other special reason.

Establishment of Tribunal for the Maintenance of Parents and Dependants.

13. (1) For the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on a Tribunal for Maintenance of Parents and Dependants by this Act, Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, establish, in every district, as many Tribunals for Maintenance of Parents and Dependants and at such places, as the State Government may by notification specify.

(2) The Presiding Officers who shall not be lower in rank of the Sub-Divisional Officer (Civil) of such Tribunal shall be appointed by the State Government.

(3) The Presiding Officer of the Tribunal shall vacate his office where—

(*a*) he resigns; or

(*b*) where he has been appointed by virtue of holding any office, he ceases to hold that office;

(4) Where a person ceases to be the Presiding Officer of the Tribunal, the State Government shall, as soon as is reasonably practicable, take steps to fill the vacancy but the existence of any vacancy in the Tribunal shall not invalidate the acts of the Tribunal.

(5) If the Presiding Officer of the Tribunal is for the time being unable to perform the duties of his office, either generally or in relation to any particular proceedings, the State Government may appoint some other person to discharge the duties of the Presiding Officer for any period, not exceeding six months at one time, or as the case may be, in relation to those proceedings; and a person so appointed shall, during that period or in relation to those proceedings, have the same powers as the person in whose place he is appointed.

(6) The Presiding Officer of the Tribunal when and so long as he is serving on the Tribunal shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code and the proceedings of the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings.

Tribunal to hear and determine claim.

14. (1) The Tribunal shall have jurisdiction to hear and determine in accordance with this Act all applications made under this Act.

(2) The Tribunal shall decide every application made to it expeditiously as possible and ordinarily every application shall be decided within a period of six months reckoned from the date on which such application has been made.

(3) Sittings of the Tribunal shall be held at such places and times as the Presiding Officer of the Tribunal may determine.

(4) Any interested party may be represented before the Triubnal—

(*a*) by an agent acting without fee, gain, reward or any expectation thereof, in any case in which the Tribunal may, at the request of that party and for good reason, permit;

(*b*) by the Maintenance Officer ;

(*c*) by an approved person or organisation through any of its employees or office-holders.

(5) No party to any proceedings before the Tribunal may be represented by an Advocate.

(6) Every summons and notice issued under the hand of the Presiding Officer of the Tribunal to any person shall be served on that person—

(*a*) by delivering the summons to the person or to some adult member of his family at his last known place of residence;

(*b*) by leaving the summons at his usual or last known place of residence or business in an envelope addressed to the person;

(*c*) by sending the summons by registered post addressed to the person at his usual or last known place of residence or business; or

(*d*) where the person is a body of persons or a company—

(*i*) by delivering the summons to the Secretary or other like officer of the body of persons or company at its registered office or principal place of business; or

(*ii*) by sending the summons by registered post addressed to the body of persons or company at its registered office or principal place of business.

(7) Any summons or notice sent by registered post to any person in accordance with sub-section (6) shall be deemed to be duly served on the person to whom the letter is addressed at the time when the letter would in the ordinary course of post be delivered and in proving service of the summons, it shall be sufficient to prove that the envelope containing the summons was properly addressed, stamped and posted by registered post.

(8) The Tribunal shall have the following powers :—

(*a*) to dismiss frivolous or vexatious claims at a preliminary stage on the basis of the affidavits and other documentary evidence;

(*b*) to summon any person to appear before a Conciliation Officer for the purpose of mediation;

(*c*) to summon any person whom it may consider able to give evidence to attend at the hearing of an application;

(*d*) to examine such person as a witness either on oath or otherwise and to require such person to produce such records, documents or articles as the Tribunal may think necessary for the purposes of the proceedings;

(*e*) to allow any person, attending the proceedings any reasonable expenses necessarily incurred by him in so attending to be paid by such party as the Tribunal may determine;

(*f*) to make an order by consent of the parties; and

(*g*) all the powers of a Magistrate with regard to the enforcement of attendance of witnesses and hearing evidence on oath.

(9) Every person examined as a witness by or before the Tribunal whether on oath or otherwise, shall be legally bound to state the truth and to produce such records, documents or articles as the Tribunal may require.

(10) The Tribunal may receive as evidence any report, statement, document, information or matter that may, in its opinion, assist it to deal effectively with a dispute, whether or not the same would be otherwise relevant or admissible under the Indian Evidence Act, 1872.

(11) In proceedings before the Tribunal it shall not be necessary to record the evidence of witnesses at length, but the Tribunal, as the examination of each witness proceeds, shall, record or cause to be recorded, a memorandum of the substance of what a witness deposes, and such memorandum shall be signed by the witness and the Presiding Officer of the Tribunal and shall form part of the record.

(12) The evidence of any person where such evidence is of a formal character, may be given by affidavit and may, subject to all just exception, be read in evidence in any proceeding before the Tribunal.

(13) The Tribunal may, if it thinks fit, and shall on the application of any of the parties to the proceedings summon and examine any such person as to the facts contained in his affidavit.

Appellate Authority may call for proceedings of the Tribunal.

15. (1) The Appellate Authority either on its own motion or on the application within 14 days of any party aggrieved by a decision of the Tribunal on the ground that it is wrong in law, may call for the proceedings and the grounds of the award and give such order thereon, either by directing a fresh hearing or otherwise, as seems necessary to secure that substantial justice is done.

(2) The powers of revision conferred under this section shall not question the decision of the Tribunal as to the quantum of maintenance awarded or apportioned under this Act.

Appeals.

16. (1) Except as provided in this section and section 15, the decision of the Tribunal shall be final.

(2) The applicant, the Maintenance Officer on behalf of the applicant, a respondant, an approved person or organisation, or any affected party may appeal to the Appellate Authority appointed by the State Government from the decision of the Tribunal upon any question of law or of mixed law and fact except in any case where the Tribunal has made the order with the consent of the parties unless it is alleged that the consent was obtained by means of fraud, duress, threat or misrepresentation.

(3) The Appellate Authority shall decide every appeal preferred to it as expeditiously as possible and ordinarily every appeal shall be decided within a period of three months reckoned from the date on which such appeal is preferred.

(4) The procedure governing such appeals under sub-sections (2) and (3) shall be the same as that for appeals from decisions of the District Court to the High Court.

(5) The Appellate Authority shall have jurisdiction to hear and determine any such appeal and may confirm, vary or annul the decision of the Tribunal on appeal and make such further or other order on such appeal, whether as to costs or otherwise, as the Appellate Authority may consider fit.

(6) There shall be no further right of appeal from decisions of the Appellate Authority.

Costs.

17. The costs of—

(*a*) an application under this Act shall be in the discretion of the Tribunal;

(*b*) an appeal shall be in the discretion of the Appellate Authority hearing the appeal.

Effect of transfer of property on right of maintenance.

18. (1) Where any person, who, after the commencement of this Act, has transferred, by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of the property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferer be void.

(2) Where any person has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous; but not against the transferee for consideration and without notice of right.

Approved persons or organisations.

19. The State Government may approve—

(*a*) institutions or organisations engaged in social welfare or the representatives thereof;

(*b*) persons professionally engaged in promoting the welfare of the family ;

(*c*) persons working in the field of social welfare ; and

(*d*) any other persons ;

whose association with a Tribunal would enable it to exercise its jurisdiction more effectively in accordance with the purpose of this Act.

Provisions not to be derogatory to certain laws.

20. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derrogation of the provisions of Chapter IX (relating to the order of maintenance of wife, children and parents) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the provisions of any law for the time being in force in respect of a suit or proceeding for maintenance.

Power to make rules.

21. (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(*a*) regulating and prescribing the procedure to be followed for applications and the conduct of proceedings under this Act ;

(*b*) regulating the means by which particular facts may be proved, and the mode in which evidence thereof may be given including but not limited to affidavits ;

(*c*) the manner in which frivolous or vexatious claims may be dismissed at a preliminary stage on the basis of the affidavits and other documentary evidence ;

(*d*) the discovery of documents and other evidence and public records ;

(*e*) the manner and method of payment of maintenance awarded under this Act;

(*f*) the costs of any proceedings under this Act; and

(*g*) the manner in which, the purposes for which and conditions subject to which, institutions, organisations and other persons may be approved for providing assistance to the Tribunal.

(3) Every rule made under this section by the State Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modifications in the rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In our society the mainetnance of aged parents had been a matter of great concern and of personal obligation arising from the existence of the relationship and quite independent of the possession of any property, ancestral or acquired. Our ancient seers held this obligation on the higher pedestral by declaring that "the aged mother and father, the chaste wife and infant child must be maintained even by doing a hundred misdeeds." Recently the fathers of our Constitution, through Directive Principles of the State Policy, contained in articles 38 and 41, together with other provisions, have wisely laid the main objective, namely, the building of a welfare State and egaliterian social order by making effective provisions for securing public assistance in case of old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.

In the developing age of science and technology our old virtues are giving way to materialistic and separatelistic tendencies. Younger generation is neglecting their wives, children and aged and infirm parents, who are now being left beggared and destituted on the scrap-heap of society and thereby driven to a life of vagrancy, immorality and crime for their subsistance. Thus it has become necessary to provide compassionate and speedy remedy to ameliorate the difficulties being faced by the neglected wives, children, aged and infirm parents.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIDYA DHAR,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The .....1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 12 and 13 of the Bill seek to provide for the appointment of the Maintenance Officer and Tribunal for the Maintenance of Parents and Dependants. Since the existing Government machinery is intended to be utilized for the implementation of the proposed provision there will be no additional expenditure on the establishment. Tentatively speaking, the provisions contained in the Bill when enacted will involve approximately extra recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of rupees 3 lakhs per annum.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 22 empowers the State Government to make rules in respect of the purposes mentioned therein and for the purpose of carrying out all or any of the provisions of the Bill. These rules shall as soon as may after they are made be laid before the Legislative Assembly. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Welfare Department File No. WLF—A(3)5/96]

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Bill, 1996, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।